न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 4/2023
3. उनवान : गौशाला सेवा समिति बोबास जरिये अध्यक्ष बाबूलाल पुत्र श्री नाथूलाल कुम्हार निवासी ग्राम बोबास, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 28.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी अपीलांट की ओर से।
   ब) पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम बोबास, पटवार हल्का बोबास भू०अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जोबनेर हाल तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 312 रकबा 72 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह में से अपीलान्ट के हक में 10 बीघा भूमि का आवंटन जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अध्यक्ष गौशाला सेवा समिति बोबास को आवंटन दिनांक 03/03/2004 को अपने पत्र क्रमांक आर. 6 (9) 2003/1700–1705 को जारी किया गया, जिसमें त्रुटि होने पर संशोधित आदेश क्रमांक आर.6 (9) 2003/1486 दिनांक 31/1/2006 को जारी किया गया, जिसकी पालना मे अपीलान्ट को खसरा नम्बर 917/312 रकबा 10 बीघा जारी कर कब्जा सुपुर्द किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार फुलेरा को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना था, परन्तु नामान्तरकरण में दर्ज किस्म आदेशानुसार गौशाला होनी चाहिए थी, के स्थान पर कॉलम संख्या 12 में चारागाह दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश का अवलोकन किये बिना तथा मौके की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर कॉलम संख्या 12 में किस्म गौशाला के बजाय चारागाह ही दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर भूमि गौशाला के उपयोग उपभोग में आ रही है। जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31/1/2006 में स्पष्ट रूप से अपीलान्ट के हक में भूमि आवंटन (राजस्थान गौशाला हेतु भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत) गौशाला सेवा समिति ग्राम बोबास को खसरा नम्बर 312 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गई। जिसकी किस्म की खारिजगी के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, का अवलोकन नही कर उक्त अपीलाधीन आदेश में कॉलम संख्या 12 में किस्म चारागाह दर्ज कर दी गई। उक्त अपीलाधीन आदेश के कारण किस्म चारागाह दर्ज होने के कारण अपीलान्ट को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान नही मिल पा रही है। चूंकि चारागाह भूमि में उक्त एजेन्सीयों द्वारा दी जाने वाले अनुदान का उपयोग उपभोग निर्माण कार्य अन्य उपयोग के लिये खर्च नही किया जा सकता। जिसकी जानकारी अपीलांट को उक्त आराजीयात के रिकार्ड बावत् हल्का पटवारी से दिनांक 30.1.23 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर हुई। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण मे मियाद सीमा लागू नही है तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नही देखा जाता जहा गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार को उसके हक व अधिकारो से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लघंन हुआ।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1428 आदेश दिनांक 13/1/2007 में कॉलम संख्या 12 में दर्ज किस्म चारागाह को निरस्त कर किस्म गौशाला दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलाधीन अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम, अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2074 से 2077 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकार पैरोकार पेश हुए।

तहसीलदार फुलेरा ने अपने पत्रांक 817 दिनांक 27.07.2023 द्वारा अपील के संबंध में अपना जवाब एवं मूल रिकॉर्ड प्रेषित किया। तहसीलदार फुलेरा ने अपने जवाब में अंकित किया है कि जिला कलक्टर, जयपुर के पत्रांक आर 6(9)2003/1699–1705 दिनांक 03.03.2004 एवं संशोधित आदेश पत्राकःआर 6(9)2003/1486–1492 दिनांक 31.01.2006 तथा तहसीलदार फुलेरा के आदेश क्रमांक/भू.अ./07/130 दिनांक 08.01.2007 की पालना में ग्राम बोबास में नामा० सं0 1428 दिनांक 13.01.2007 खसरा संख्या 312 किस्म चरागाह में गौशाला सेवा समिति, बोबास के नाम नवीन खसरा संख्या 917/312 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। नवीन खसरा संख्या 917/312 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह खातेदार गौशाला सेवा समिति, बोबास की किस्म में नामान्तरकरण द्वारा परिवर्तन नहीं किया गया। मूल खसरे की किस्म के अनुसार किस्म चरागाह ही रखी गई है। हाल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम बोबास की खसरा संख्या 917/312 रकबा 2.5290 हैक्टे० किस्म चरागाह खातेदार गोशाला हिरस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज रिकॉर्ड है। जिला कलक्टर जयपुर के संशोधित आदेश पत्राकः आर 6(9)2003/1486–1492 दिनांक 31.01.2006 से ग्राम बोबास की खसरा नंबर 312 रकबा 62 बीघा 13 बिस्वा किस्म चरागाह में से 10 बीघा भूमि की आवंटन स्वीकृति भूमि की किस्म खारिज की जाकर (राजस्थान गौशाला हेतु भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत) गौशाला हेतु गौशाला सेवा समिति बोबास के आंवटित की गई। ग्राम बोवास में उक्त आदेशानुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जिसकी नामान्तरकण संख्या 1428 में गौशाला सेवा समिति बोबास के नवीन खसरा संख्या 917/312 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह दर्ज कर दिनाक 13.01.2007 को स्वीकृत करवाया गया। वर्तमान में ग्राम बोवास के खसरा संख्या 917/312 को गौशाला हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। ग्राम बोवास में नामान्तरकरण संख्या 1428 दिनांक 13.01.2007 में कॉलम संख्या 12 में किस्म चरागाह मूल खसरा संख्या 312 के अनुसार ही दर्ज रिकॉर्ड है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अध्यक्ष गौशाला सेवा समिति बोबास को ग्राम बोबास के खसरा नम्बर 312 रकबा 72 बीघा 13 बिस्वा किस्म चारागाह में से अपीलान्ट के हक में 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 03/03/2004 को जारी किया गया। जिसमें त्रुटि होने पर संशोधित आदेश दिनांक 31/1/2006 को जारी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज किस्म आदेशानुसार गौशाला होनी चाहिए थी परन्तु इसके स्थान पर जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश का अवलोकन किये बिना कॉलम संख्या 12 में चारागाह दर्ज कर दी गई। मौके की जांच किये बिना ही किस्म चरागाह दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर भूमि गौशाला के उपयोग उपभोग में आ रही है। राजस्थान गौशाला हेतु भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 31/1/2006 में अपीलान्ट के हक में भूमि आवंटन किया गया है जो नियमानुसार "गौशाला" दर्ज होना चाहिए था। किस्म चारागाह दर्ज होने के कारण अपीलान्ट को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान नहीं मिल पा रही है। राज्य सरकार की

अतिरिक्त [illegible] क्टर
(अपील) जयपुर

शर्त अनुसार चारागाह भूमि में उक्त एजेन्सीयों द्वारा दी जाने वाले अनुदान का उपयोग उपभोग निर्माण कार्य अन्य उपयोग के लिये खर्च नही किया जा सकता। अतः जिला कलक्टर जयपुर द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 31/1/2006 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1428 आदेश दिनांक 13/1/2007 में कॉलम संख्या 12 में दर्ज किस्म चारागाह को निरस्त कर किस्म गौशाला दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला कलक्टर जयपुर के संशोधित आदेश की पालना में ग्राम बोबास की खसरा नंबर 312 रकबा 62 बीघा 13 बिस्वा किस्म चरागाह में से 10 बीघा भूमि की आवंटन स्वीकृति भूमि की किस्म खारिज की जाकर राजस्थान गौशाला हेतु भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत गौशाला हेतु गौशाला सेवा समिति बोबास के आंवटित की गई। आदेशानुसार नामान्तरकरण 1428 के नवीन खसरा संख्या 917/312 रकबा 10 बीघा किस्म चरागाह दर्ज कर दिनाक 13.01.2007 को स्वीकृत करवाया गया। नामान्तरकरण में कॉलम संख्या 12 में किस्म चरागाह मूल खसरा संख्या 312 के अनुसार ही दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरकरण दर्ज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का श्रम करें।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अनुसार हस्तगत आदेश कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर क्रमांक आर.6 (9) 2003/1699 दिनांक 3/3/2004 को जारी किया गया था जिसके पैरा सं0 1 के अनुसार भूमि पट्टे पर दी गई थी ना कि खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकारों पर तथा पैरा सं0 2 के अनुसार पट्टा बीस वर्षों की अवधि के लिए या जब तक पट्टेदार गौशाला के मवेशियों को रखने के प्रयोजनार्थ उपयोग करें, इनमें से जो भी कम हो, होगा। जो बीस वर्षों की समाप्ति पर उतने ही समय के लिए अथवा उस किराये पर जो सरकार द्वारा निश्चित किया जावे, नवीनीकरण किया जा सकेगा।

उपर्युक्त दोनों शर्तों के अनुसरण में उक्त आदेश व पट्टे की अवधि को 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी ने पट्टा का नवीनीकरण करवाया है। चूंकि अपीलाधीन नामांतकरण आदेश दिनाक 03.03.2004 व 31.1.2006 के अनुसरण में खोला गया था व आदेश कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर क्रमांक आर.6 (9) 2003/1699 दिनांक 3/3/2004 के नवीनीकरण के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या आदेश पारित किया जाएका व उसका क्या प्रभाव होगा ? इसके बारे में इस स्टेज पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। परन्तु बिना नवीनीकरण जब उक्त आदेश की वैधता ही प्रश्नगत है तो उसके आधार पर खोले गए नामांतकरण मे इस स्टेज पर कोई परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्तगत अपील पोषणीय न होने व साबित न होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तस्दीक दाखिल दफ्तर हो।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
जयपुर।